

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

श्री विनोद कुमार सिंह, अपर सचिव का स्थानान्तरण, श्रीमती अर्चना कुमारी यादव, अवर सचिव का खान एवं भूतत्व विभाग में योगदान एवं श्रीमती बीना कुमारी, खनिज विकास पदाधिकारी व स्थानान्तरण हो जाने के कारण मुख्यालय के कार्यों का सुचारु रूप से निष्पादन हेतु प्रशाखावा कार्यों का आवंटन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र०	प्रशाखा का नाम एवं विषय	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर
1.	<u>प्रशाखा-1</u> i. राजपत्रित स्थापना, राजपत्रित स्थापना (मुख्यालय) भा०प्र०से०, बि०प्र०से० एवं अन्य। ii. खान निरीक्षक की स्थापना। iii. सामग्री आपूर्ति/क्रय/विभागीय वाहन। iv. माननीय विभागीय मंत्री का स्थापना, दूरभाष रख रखाव। v. अराजपत्रित स्थापना, क्षेत्रीय/वर्ग-3 एवं 4 vi. बजट/योजना/आवंटन/भदन किराया।	श्री सुनील चौधरी, उप सचिव	-	श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव
2.	<u>प्रशाखा-2</u> i. मुख्यालय स्थापना अराजपत्रित। ii. आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/ कार्यपालक सहायक/आई०टी० ब्यौच की स्थापना संबंधी कार्य। iii. नीलाम पत्र। iv. कम्प्यूटर/प्रकाशन/प्रशिक्षण/निरीक्षण संबंधी कार्य। v. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मुख्यालय लेखा vi. e-Office Maintenance/AEBAS/BBAS का अनुश्रवण। vii. आरोप/निगरानी। viii. ए०जी०/सी०ए०जी०/पी०एस०सी० वित्त अंकेक्षण संबंधी कार्य।	श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी यादव, अवर सचिव श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव श्रीमती अर्चना कुमारी यादव, अवर सचिव श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी	-	श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव
3.	<u>प्रशाखा-3</u> i. लोक सूचना का अधिकार। ii. विधायी संबंधी कार्य।	श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री सचिन प्रकाश ख०वि०पदा०	- श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव	श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव निदेशक

	iii. जन परिवाद (मुख्यमंत्री ई-डैश बोर्ड)।	श्रीमती अर्चना कुमारी यादव, अवर सचिव		श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव
	iv. विविध कार्य, बैठक आयोजन सहित।	श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव		
	v. अवैध खनन से संबंधित सभी कार्य।			
	vi. वृहत् खनिज (बिहार सरकार द्वारा नीलामी होने वाले पट्टों के संबंध में)/भूतात्विक अन्वेषण।	श्री लाल बिहारी प्रसाद, ख०वि०पदा०	श्री विकास कुमार पासवान, स०नि०	निदेशक
	vii. वृहत् खनिज (भारत सरकार द्वारा नीलामी होने वाले पट्टों के संबंध में)।	श्री लाल बिहारी प्रसाद, ख०वि०पदा०	श्री आनंद प्रकाश, स०नि०	
	viii. बालू, समाहरण, कार्य विभाग।	श्री सचिन प्रकाश, ख०वि०पदा०		
4.	<u>प्रशाखा-4</u>			
	i. गिट्टी (पत्थर), क्रशर संबंधी कार्य।	श्री सचिन प्रकाश, ख०वि०पदा०	श्री विकास कुमार पासवान, स०नि०	निदेशक
	ii. मिट्टी/ईट भट्ठा/मोरम इत्यादि संबंधी कार्य।	श्री लाल बिहारी प्रसाद, ख०वि०पदा०	श्री विकास कुमार पासवान, स०नि०	
	iii. विधि संबंधी कार्य।	श्री आनंद प्रकाश, स०नि०	श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी	
	iv. BSMDC/BSMC से संबंधित कार्य।	श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव	
	v. NIC/ISTP	श्री आनंद प्रकाश, स०नि०	श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी	
	vi. DMF (PMKKKY)/ प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना एवं अन्य योजना।	श्री सचिन प्रकाश, ख०वि०पदा०	श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी	

- श्री शम्भु प्रसाद साहू, खनिज विकास पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष के प्रभारी रहेंगे एवं श्री शशि शेखर चौधरी महाप्रबंधक (वित्त), बी०एस०एम०सी० वरीय प्रभारी के रूप में इसका नियमित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे तथ निदेशक, खान को प्रतिवेदित करेंगे।
- तकनीकी विषय से संबंधित संचिकायें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपस्थापित की जायेगी।
- निदेशक, खान को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत मामलों का निष्पादन वह अपने स्तर से करेंगे एवं प्रदत्त शक्ति के बाहर के मामले अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदनार्थ उपस्थापित करेंगे। प्रश्नगत मामले में किस स्तर से अनुमोदन प्राप्त होना है, उसका उल्लेख प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से टिप्पणी में किया जायेगा।
- निदेशक, खान की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव कार्यों का निष्पादन करेंगे एवं श्री भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में निदेशक, खान कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी तथा श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

7. श्री सुनील चौधरी, उप सचिव एवं श्रीमती अर्चना कुमारी यादव, अवर सचिव की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव तथा श्री पीयूष कुमार सिंह, अवर सचिव की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री सुनील चौधरी, उप सचिव कार्यों का निष्पादन करेंगे।
8. श्री विकास कुमार पासवान, सहायक निदेशक की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री आनन्द प्रकाश, सहायक निदेशक तथा श्री आनन्द प्रकाश, सहायक निदेशक की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री विकास कुमार पासवान कार्यों का निष्पादन करेंगे।
9. श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री शम्भू प्रसाद साहु, खनिज विकास पदाधिकारी तथा श्री शम्भू प्रसाद साहु के अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।
10. श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।
11. विशेष परिस्थिति में किसी पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में संचिका अगले स्तर के पदाधिकारी को उपस्थापित की जाएगी।
12. सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने अधीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का प्रतिस्थानी आदेश निर्गत करेंगे, ताकि किसी भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्य बाधित न हो।
13. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
14. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
15. इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र०-1 रा० (वि०)-10/19-5823/एम० पटना दिनांक 17.10.25

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/उप सचिव/अवर सचिव/मुख्यालय स्थिति सभी पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव